

प्रेस नोट दिनांक-25.09.2021

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जाससवाल के निर्देशन में गैंग की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन क्लीन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री शैलेन्द्र कुमार राय के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी मऊ श्री सुबोध गौतम के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी श्री प्रमोद कुमार तथा उनकी टीम द्वारा आज दिनांक 25.09.2021 को 07 दिन पूर्व हुई लूट की घटना में संलिप्त बलखड़िया गैंग के सक्रिय सदस्य दीपक कुमार पटेल पुत्र राजकरन पटेल निवासी चौखड़ा मजरा ददरीमाफी थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को लूट के 02 अदद मोबाइल, 01 देशी पिस्टल व 04 अदद जिन्दा कारतूस 7.65 MM बोर साथ गिरफ्तार किया गया। इस अभियुक्त द्वारा दिनांक 17.09.2021 की रात्रि में थाना मारकुण्डी क्षेत्र के बंधा बाहर कोलान ग्राम अमचुर नेरुवा में मोबाइल लूट की घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना मारकुण्डी में मु0अ0सं0 37/2021 धारा 395 भादवि0 पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 22.09.2021 को पुलिस मुठभेड मे मार्कण्डेय जंगल से भाग गया था जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 38/21 धारा 147/148/149/307/504/506 भादवि व 12/14 DAA एक्ट पंजीकृत किया गया था।

अभियुक्त के कब्जे से अवैध शस्त्र बरामदगी के सम्बन्ध में थाना मारकुण्डी में मु0अ0सं0 43/21 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

दीपक कुमार पटेल पुत्र राजकरन पटेल नि0 चौखड़ा ददरी माफी बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट

बरामदगी का विवरण-

1. 02 अदद मोबाइल लूट के
2. 01 अदद देशी पिस्टल नाजायज व 04 अदद जिन्दा कारतूस 7.65 MM बोर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 05/15 धारा- 147/148/149/307/427/504/506 IPC व 12/14 DAA ACT थाना मारकुण्डी चित्रकूट
2. मु0अ0सं0- 10/15 धारा- 147/148/149/307 IPC व 12/14 DAA ACT थाना मारकुण्डी चित्रकूट
3. मु0अ0सं0- 37/21 धारा- 392/412 IPC थाना मारकुण्डी चित्रकूट
4. मु0अ0सं0- 38/21 धारा 147/148/149/307/504/506 भादवि व 12/14 DAA एक्ट थाना मारकुण्डी चित्रकूट
5. मु0अ0सं0- 43/15 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मारकुण्डी चित्रकूट
6. मु0अ0सं0- 46/14 धारा 147/148/149/307/427 भादवि व 12/14 DAA एक्ट थाना बहिलपुरवा चित्रकूट
7. मु0अ0सं0- 953/14 धारा 223/221/332/333 भादवि थाना कोतवाली कर्वी चित्रकूट
8. मु0अ0सं0- 364/14 धारा 364 भादवि थाना कोतवाली कर्वी चित्रकूट

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

01. प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी श्री प्रमोद कुमार
02. आरक्षी अंकित शुक्ला
03. आरक्षी अमित सिंह
04. आरक्षी संदीप लोधी
05. आरक्षी सचिन यादव
06. आरक्षी शिवबहादुर सिंह

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जाससवाल द्वारा थाना समाधान दिवस के अवसर पर थाना मानिकपुर में फरियादियों की समस्याओं को सुनकर प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर को निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। इस दौरान जमीनी विवादों को राजस्व की टीम के सहयोग से निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया।

महोदय द्वारा इस दौरान थाना मानिकपुर के अपराध रजिस्टर, गैंग रजिस्टर, महिला उत्पीडित रजिस्टर, सम्पूर्ण समाधान एवं थाना समाधान रजिस्ट्रों को अवलोकर कर प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

इस दौरान प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री सुभाषचन्द्र चौरसिया, पीआरओ श्री राजीव कुमार सिंह तथा राजस्व एवं पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री अवधेश कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री राजेश कुमार चौरसिया तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त 1. संतोष सोनकर पुत्र मोती सोनकर निवासी मझगवां थाना राजापुर जनपद चित्रकूट 2. पंकज सोनकर पुत्र राजू सोनकर निवासी केवटरहा मोहल्ला काली मंदिर थाना राजापुर जनपद चित्रकूट 3. शुभम सोनकर पुत्र रमेश निवासी महुवई टोला कस्बा व थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को ताश के पत्तों पर हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से मालफड़ 2060/- रुपये व 52 अदद ताश के पत्ते तथा जामातलाशी से 435/- रुपये बरामद हुये। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 13 जुआ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

1. मालफड़ 2060/- रुपये व 52 अदद ताश के पत्ते
2. जामातलाशी से 435/- रुपये

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री राजेश कुमार चौरसिया थाना राजापुर
2. आरक्षी राहुल पाण्डेय
3. आरक्षी विनोद यादव

(4). आज दिनांक-25.09.2021 को थाना समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी चित्रकूट श्री शुभ्रान्त कुमार शुक्ल द्वारा थाना मऊ में फरियादियों की समस्याओं को सुना गया तथा त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित का निर्देशित किया गया।

इस दौरान उपजिलाधिकारी मऊ श्री नवदीप शुक्ला, प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री गुलाब त्रिपाठी, निरीक्षक अपराध श्री बृजेश कुमार यादव राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

इसी क्रम में थाना राजापुर एवं थाना पहाड़ी में अपर जिलाधिकारी चित्रकूट श्री जीपी सिंह एवं अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री शैलेन्द्र कुमार राय की अध्यक्षता में, थाना कोतवाली कर्वी में उपजिलाधिकारी सदर श्रीमती पूजा यादव एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में, थाना बहिलपुरवा में क्षेत्राधिकारी नगर श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में, थाना रैपुरा में क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री एस0पी0 सोनकर की अध्यक्षता में एवं अन्य थानों में प्रभारी निरीक्षकों की अध्यक्षता में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। समाधान दिवस में आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुनकर उनके शीघ्र निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

(5). आज दिनांक-25.09.2021 को प्रभारी निरीक्षक थाना रैपुरा श्री दुर्गेश प्रसाद गुप्ता को सूचना प्राप्त हुई कि अनजान 01 बालक उम्र लगभग 14 वर्ष जोकि गूंगा है बस स्टैंड रैपुरा में भटक रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है। इस सूचना पर उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता के नेतृत्व में टीम द्वारा बस स्टैंड पहुँचकर बालक को ससम्मान थाने पर लाकर भोजन कराया गया एवं चाइल्ड हेल्प लाइन के अधिकारियों को सूचित कराया गया। चाइल्ड हेल्प लाइन के अधिकारियों के थाना रैपुरा में आने पर बालक को सकुशल टीम के सुपुर्द किया गया।

(6). आज दिनांक 25.09.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुना गया तथा उनके त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया गया। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले फरियादियों को बताया गया कि आप अपनी शिकायत जनसुनवाई आपके द्वार के तहत मो0नं0 8810747614 पर वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी कर सकते है, आप लोगों को दूर दराज से यहां तक नहीं आना पड़ेगा, आपकी शिकायत वीडियो कॉलिंग पर ही सुन ली जायेगी तथा निस्तारण कराया जायेगा, जिससे आप लोगों को

समय की तथा आर्थिक बचत होगी। इस दौरान महोदय द्वारा जनसुनवाई आपके द्वार के तहत वीडियो कॉलिंग से प्राप्त शिकायतों को भी सुना गया एवं उनके त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया

(7). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाए जा रहे अभियान “मिशन शक्ति फेज-3” के तहत जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियो टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल, विद्यालय एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरूक किया गया।

“मिशन शक्ति फेज-3” अभियान के तहत दिनांक 25.09.2021 को श्री धवल जायसवाल पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में जनपद में समस्त थाना क्षेत्रों में एण्टी रोमियो टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामों में भ्रमण किया गया। जिसमें महिलाओं/बालिकाओं को “मिशन शक्ति फेज-3” के तहत सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजार, कॉलेज, कोचिंग संस्थान व अन्य सार्वजनिक स्थलों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेड़खानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरूक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा के बारे में जानकारीयाँ दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हैल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया।

इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एण्टी रोमियो स्क्वाड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनो से सार्वजनिक स्थलो यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

(8) पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वंचित वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री रामाश्रय यादव तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 136/21 धारा 498A/304B आईपीसी व 3/4 डीपी एक्ट के वांछित अभियुक्त रामाशंकर पुत्र हनुमान प्रसाद निवासी गौतम पुरवा मजरा पचोखर थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री रामाश्रय यादव

2. आरक्षी निलेश कुमार

3. आरक्षी राघवेंद्र

(9). आज दिनांक-25.09.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना बहिलपुरवा श्री दीनदयाल सिंह के नेतृत्व में थाना बहिलपुरवा पुलिस एवं पीएसी की संयुक्त टीम द्वारा अन्नयपूर्णा देवी मंदिर के जंगलो में कॉम्बिंग की गयी।